e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03 / भू0अ0नि0 (3)– विविध (अपील)– 14 / 2022......2671........ पटना, दिनांक :–29/9/2022

आदेश

प्रस्तुत अपील ''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम–8 (4)'' में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार (Emp.ID. SSAO4664), पूर्व संविदा अमीन (अमीन / सर्वेयर) द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा पारित आदेश पत्रांक–48 दिनांक– 06.01.2022 के विरूद्ध दायर किया गया है।

प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सूचना निर्गत किया गया है। अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार को सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि की सूचना ईमेल के द्वारा दी गई है। निर्धारित तिथि 02.09.2022 को अपील की सुनवाई की गई। उभयपक्ष उपस्थित। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा अपीलार्थी के अपील पर अपना मंतव्य दाखिल किया गया। प्रस्तुत अपील में उभयपक्षों को सुनकर अपील आदेश पर रखा गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक–866 दिनांक–17.11.2021 द्वारा निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को मेरा संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गई है, जिसके आलोक में निदेशालय द्वारा मुझसे दिनांक– 20.12.2021 को स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा ससमय दिनांक– 27.12.2021 को मेरे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों पर विचार किए बगैर निदेशालय ज्ञापांक–48 दिनांक–06.01.2022 द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित मेरे संविदा रद्द कर दिया गया है।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना ने अपने प्रतिउत्तर (मंतव्य) में स्पष्ट किया है कि जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक– 866 दिनांक– 17.11.2021 द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के अंतर्गत प्रखण्ड कार्यालय, पलासी में निर्वाचन क्रियान्वयन के क्रम में श्री मुकेश कुमार, प्रतिनियुक्त संविदा अमीन, अंचल कार्यालय, पलासी द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी, श्री नारायण मंडल, लिपिक, अंचल कार्यालय, पलासी के साथ मिलकर अभ्यर्थियों के नामांकन के दौरान N.R काटने के क्रम में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग की गई, जिसका विडियो वायरल होने के पश्चात् निर्वाची पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलासी एवं अंचलाधिकारी, पलासी द्वारा संबंधित कर्मी से पूछे गये स्पष्टीकरण पर आरोपित द्वारा दिए गए जबाव तद्नुसार जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा आरोपित के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। आरोपित पर प्रतिवेदित आरोप एवं जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक– 4504 दिनांक– 20.12.2021 द्वारा आरोपित से तीन दिनों के अन्दर बिन्दुवार स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। जिसके आलोक में आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। आरोपित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में बताया गया है कि टेबुल नं0–6 पंच के नाम निर्देशन शुल्क के लिए प्रतिनियुक्त था, परंतु प्रखण्ड कार्यालय की अव्यवस्था के कारण अभ्यर्थी अपने चिन्हित टेबुल के इतर किसी भी टेबुल पर नाम निर्देशन शुल्क जमा करते थे। इसलिए मेरे टेबुल पर मुखिया प्रत्याशी का नाम निर्देशन फार्म शुल्क जमा करने हेतु अभ्यर्थी आए थे, जिसके विरूद्ध 600 रूपये मांगने की बात वायरल विडियो में सुनी गई है, इसलिए विडियो में 100 रूपये अधिक राशि लेने की बात सुनी गई है। इस प्रकार पंच हेतु 250 / 125 रूपये की जगह 600 रूपये की मांग की बात सत्य नहीं है। साथ हीं आरोपित द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि वायरल विडियो में वार्त्तालाप में मेरे द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि लोग खुशी से देते है आपको देना है तो दें अन्यथा नहीं। इनका कहना है कि मेरी प्रतिनियुक्ति उक्त कार्य के लिए नहीं थी, अज्ञानतावश उक्त कार्य के लिए वहाँ उपस्थित रह गया। निर्वाचन संबंधी कार्य / प्रक्रिया का मुझे कोई अनुभव नहीं था। अज्ञानतावश मुझसे यह भूल हो गई जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री मुकेश कुमार (Emp.ID. SSAO4664), पूर्व संविदा अमीन (अमीन/सर्वेयर) द्वारा पंचायत चुनाव–2021 में अन्य आरोपितों के साथ अनाधिकृत रूप से उपस्थित होकर अभ्यर्थियों के नामांकन के दौरान एन0 आर0 काटने हेतु निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग की गयी है। जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा करायी गई जाँच में श्री कुमार को दोषी पाया गया है। श्री कुमार द्वारा अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। श्री कुमार द्वारा स्वीकार किया गया है कि मेरी प्रतिनियुक्ति उक्त कार्य के लिए नहीं थी।

अतः निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के आदेश पत्रांक– 48 दिनांक– 06.01.2022 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक श्री मुकेश कुमार (Emp.ID. SSAO4664), पूर्व संविदा अमीन (अमीन/सर्वेयर) का अपील खारिज की जाती है।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव–सह–
अपीलीय प्राधिकार

बिहार सरकार

e-Mail

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 03/भू0अ0नि0 (3)– विविध (अपील)– 14/2022 2671 **पटना, दिनांक :–** 29/9/2022

प्रतिलिपिः– श्री मुकेश कुमार (Emp.ID. SSAO4664), पूर्व संविदा अमीन (अमीन/सर्वेयर) Email-mukeshdts1995@gmail.com, अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/22

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

संख्या :– 03/भू0अ0नि0 (3)– विविध (अपील)– 14/2022 2671 **पटना, दिनांक :–** 29/9/2022

प्रतिलिपिः– बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालंदा/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/22

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

संख्या :– 03/भू0अ0नि0 (3)– विविध (अपील)– 14/2022 2671 **पटना, दिनांक :–** 29/9/2022

प्रतिलिपिः– निदेशक कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/22

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

संख्या :– 03/भू0अ0नि0 (3)– विविध (अपील)– 14/2022 2671 **पटना, दिनांक :–** 29/9/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/9/22

(अनिल कुमार सिंह)
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप